



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2018/कार्तिक 21, 1940

No. 416]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2018/KARTIKA 21, 1940

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

**फा. सं. 1(42) 2011/रेलवे/खाद्यसंमाप्रा (भाग- I).**— खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित भारतीय रेलवे के अधीन क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में, वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात्, सम्बंधित स्तंभों में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान और रेलवे
59	श्री सौरव कुमार	पूर्वी मध्य रेलवे
60	श्री आर. के. राय	उत्तर मध्य रेलवे
61	श्री के. नारायण	उत्तर मध्य रेलवे
62	श्री एम्.सोराजू	दक्षिण मध्य रेलवे
63	श्री वी. हरी किसन	दक्षिण मध्य रेलवे
64	श्री एम्. जगन मोहन रेड्डी	दक्षिण मध्य रेलवे
65	श्री जी. कोटेश्वर राव	दक्षिण मध्य रेलवे
66	श्री डी. सी. मीना	पश्चिम मध्य रेलवे
67	श्री तरुन सैनी	उत्तर पश्चिमी रेलवे
68	श्री रामजी लाल मीना	उत्तर पश्चिमी रेलवे

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./338/18]

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग- I),तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओ द्वारा संशोधित की गई थी-

- i. फा.सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग- I),तारीख 29 सितम्बर, 2017,
- ii. फा.सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग- I), तारीख 19 फरवरी, 2018।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8<sup>th</sup> November, 2018

**F. No. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part- I).**—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officer as Food Safety Officer for the area as mentioned against his name under Indian Railways with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017:-

In the table, after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:-

Sr. No.	Name of FSO	Place of posting & Railway
“59	Sh. Saurav Kumar	East Central Railway
60	Sh. R. K. Rai	North Central Railway
61	Sh. K. Narayan	North Central Railway
62	Sh. M Soaraju	South Central Railway
63	Sh. V. Hari Kisan	South Central Railway
64	Sh. M. Jagan Mohan Reddy	South Central Railway
65	Sh. G. Koteshwara Rao	South Central Railway
66	Sh. D. C. Meena	West Central Railway
67	Sh. Tarun Saini	North Western Railway
68	Sh. Ramji Lal Meena	North Western Railway”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer  
[ADVT.-III/4/Exty./338/18]

**Note.** – The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017 and subsequently amended vide notification numbers:-

- I. F. No. 1(42) 2011-(01)/Railways/FSSAI (Part- I), dated the 29th September, 2017,
- II. F. No. 1(42) 2011-(01)/Railways/FSSAI (Part- I), dated the 19<sup>th</sup> February, 2018.